

**एन. सी. एल. द्वारा स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्यूसर (सी. पी. पी. समेत)-फेज -४ के माध्यम से
कोयले की बिक्री की संशोधित सूचना**

**NOTIFICATION FOR SALE OF COAL BY NCL THROUGH SPECIAL FORWARD e-AUCTION
SCHEME FOR POWER PRODUCERS INCLUDING CPP- PHASE -IV**

NCL/SGR/Sales/15-16/2860

Dated: 11.03.2016

नॉर्थन कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली, म. प्र. स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्यूसर (अधिसूचना दिनांक ३१.१०.२०१५ एवं संशोधन दिनांक ०२.०२.२०१६, २३.०२.२०१६ एवं १०.०३.२०१६ सी.आइ.एल./एन.सी.एल. एवं सेवाप्रदायकर्ता सर्व श्री एम-जंक्शन सर्विसेस लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध है) के माध्यम से "कोयले" की बिक्री का संशोधित प्रस्ताव पेश करती है, जिसमें भारत में स्थापित सभी विद्युत उत्पादक (IPPs/State Gencos/CPPs) एवं बायोमॉस आधारित विद्युत उत्पादक जो या तो पहले से चालू हैं या २०१५-१६ में चालू हो रहे हैं, भाग ले सकता है और इलेक्ट्रॉनिक बोली के जरीये कोयला प्राप्त कर सकता है! बुक किये गये कोयले को किसी भी स्थिति में हस्तांतरित या पुनर्विक्रय नहीं किया जा सकता है!

Northern Coalfields Limited, Singrauli MP proposes to sell coal through **Special Forward e-Auction Scheme for Power Producers (Scheme Notified dated 31.10.2015 and modified dated 02.02.2016, 23.02.2016 & 10.03.2016 are available at websites of CIL/NCL and Service Provider i.e. www.coaljunction.in)** wherein 'All Power Producers (IPPs/State Gencos/CPPs), including Biomass based power plants already commissioned and who are in stress in respect of coal receipt or being commissioned in 2015-16, desiring supply over a long period can participate for procurement of coal for own consumption only, and not for transfer or re-sale.

ऑक्सन में दिये जा रहे कोयले के रिजर्व मूल्य का निर्धारण निम्नवत होगा -

अ. विद्युत उत्पादक (IPPs/State Gencos) के लिये : रिजर्व मूल्य पॉवर सेक्टर के निर्धारित मूल्य से १०% उपर होगा!

आ. CPPs के लिये : रिजर्व मूल्य नॉन-पॉवर सेक्टर के निर्धारित मूल्य से १०% उपर होगा!

योग्य CPPs स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन में विद्युत उत्पादकों (IPPs/State Gencos) के साथ एक ही ऑक्सन में भाग ले सकेंगे, किंतु उनके द्वारा खरीदे गये कोयले के बिड मूल्य का निर्धारण, ऑक्सन में हुये प्रतिशत लाभ को नॉन-पॉवर सेक्टर के निर्धारित मूल्य में जोड़ कर किया जायेगा !

Reserve Price of coal shall be as under:

- For power producers (IPPs/State Gencos):** The reserve price shall be 10% over the notified price applicable for the **Power Sector**.
- For Captive Power Plants (CPPs):** The reserve price shall be 10% over the notified price applicable for the **Non Power Sector**.

Eligible CPPs may participate in the bidding along with the IPPs/State Gencos in the same auction platform; however, in case of winning the bid, the Bid Price shall be determined considering the percentage increase over the reserve price where the reserve price shall be applicable for the **Non Power Consumers**.

स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्यूसर का विस्तृत कार्यक्रम निम्नवत है. -

The schedule for sale of coal through electronic bidding through Special Forward e-Auction Scheme from NCL mines is as under:

दिनांक व समय Date & Time	स्रोत Source	मात्रा (मी.टन.) Quantity (MT)/रेक संख्या No. of Rakes	ग्रेड/जीसीवी/साइज Grade/GCV/Size	रिजर्व मूल्य (रु./ मि.टन.) Reserve Price (Rs/Te)		माध्यम Mode	सेवा प्रदायकर्ता Auctioneering Agency
				Power Producers (IPPs/State Gencos)	Captive Power Plants (CPPs)		
१७.०३.२०१६ (०१.०० अप. बजे से ०३.०० अप. बजे तक) 17.03.16, (01.00PM to 03.00PM)	बीना Bina	2,00,000	G-10/4301-4600/ Crushed ROM	946/-	1276/-	सड़क Road	एम-जंक्शन सर्विसेस लिमिटेड mJunction Services Ltd.
	जयंत (स्पर-१ व्हाफ़रवाल साईडिंग) Jayant (Spur-I Wharfwall Siding)	77 Rakes	G-10/4301-4600/ (-100mm)	946/-	1276/-	रेल Rail	

सड़क माध्यम से खरीदे गये कोयले के मूल्य का समयानुसार भुगतान करने के पश्चात कोयले को उठाने की वैधता ३०.०९.२०१६ तक होगी ! रेल माध्यम से रेक अलाटमेंट लेने की वैधता ३१.०५.२०१६ तक होगी जबकि सप्लाय रेलवे के नियमों के अनुसार होगी

Validity period of all road borne lifting shall be till **30.09.2016**, provided the coal value is paid against the Bid Quantity in due time. However in case of supply by Rail Mode validity for taking allotment will be till **31.05.2016**. The supply, however, will be made as per extant Railway rules.

Pre-requisite conditions for participation in Special Forward e-Auction are as follows:

स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्यूसर (अधिसूचना दिनांक ३१.१०.२०१५ एवं संशोधन दिनांक ०२.०२.२०१६, २३.०२.२०१६ एवं १०.०३.२०१६ सी.आइ.एल. /एन.सी.एल. एवं सेवाप्रदायकर्ता सर्व श्री एम-जंक्शन सर्विसेस लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध है) स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन प्रक्रिया में भाग लेने के लिये शर्त/योग्यताये निम्नवत है:-

(1) **पंजीयन/Registration:**

उपभोक्ता को स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्यूसर में भाग लेने के लिये स्वयं को सेवा प्रदायकर्ता जो कि सर्व श्री एम-जंक्शन सर्विसेस लिमिटेड है से पंजीकृत होना आवश्यक है। पंजीकरण स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन स्कीम के खंड २ एवं ३ के अनुसार है। पंजीकरण सम्बंधित अधिक जानकारी के लिये कृपया श्री एम-जंक्शन सर्विसेस लिमिटेड की वेबसाइट www.coaljunction.in पर जायें।

Consumers can participate in Special Forward e-Auction by registering themselves with the respective Auctioneering Agency i.e. M/s mJunction Services Limited as per **Clause no. 2 & 3 of Special Forward e-Auction Scheme**. For more details kindly log on to website of Service Provider i.e. www.coaljunction.in. **Eligible buyers may register themselves with Service Provider till 16.03.2016.**

(2) प्रभावी कर तथा अन्य टैक्स, रिजर्व मूल्य के अतिरिक्त देय होगा।

Reserve prices are excluding levies and statutory charges as applicable.

(3) EMD की राशी ऑक्सन के पूर्व सेवा प्रदायकर्ता के पास जमा करना होगा। EMD की राशी विक्रय के लिये दिये गये कोयले के रिजर्व मूल्य के १०% के बराबर होगा।

स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन स्कीम के खंड ४.१ के अनुसार बिडर EMD के सापेक्ष बैंक गारंटी भी जमा कर सकता है ! बैंक गारंटी से EMD जमा करने पर कोयले के रिजर्व मूल्य के २०% के बराबर की बैंक गारंटी जमा करानी होगी ! कृपया बैंक गारंटी बनवाने से पहले इससे सम्बंधित सभी नियम एवं शर्तों को ठीक से पढ़ लें।

All interested registered consumers shall be required to deposit in advance non-interest bearing EMD with respective Service Provider for such an amount as would cover 10% of the reserve price (of e-Auction concerned) for intended bid quantity in terms of basic price of coal.

The Bidder shall have the option to furnish the EMD in the format of the Bank Guarantee as per clause no. 4.1 of Special Forward e-Auction Scheme; however in this case bank guarantee should be to the tune of 20% of the reserve price of offered coal. Please read all terms and conditions carefully before furnishing the Bank Guarantee.

(4) स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन स्कीम में न्यूनतम बिड मात्रा सड़क माध्यम से ४००० टन एवं इसके पश्चात ४००० टन के गुणक में होगी !

Minimum Bid quantity shall be 4000 MT and in multiple thereafter for a source by Road Mode.

(5) कोयले के मूल्य का भुगतान/Deposition of Coal Value:

सफल बोलीकर्ता कोयले के मूल्य का भुगतान निम्नलिखित किसी एक एन.सी.एल. सी.एस.आर. खाते में आर.टी.जी.एस./इ.सी.एस./डी.डी./बैंकर्स चेक के माध्यम से करेगा।

Successful Bidders shall deposit Coal value in any of the following NCL CSR accounts through Draft/RTGS/ECS/Banker's Cheque at the office of General Manager (S&M), NCL Singrauli at the following banks.

क्रमांक S.No.	बैंक का नाम Name of the Bank	शाखा Branch	आई.ए फ.एस. कोड IFS code	खाता संख्या Account No.
1	भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India	मोरवा Morwa	SBIN0003767	10773219417
2	इलाहाबाद बैंक Allahabad Bank	मोरवा Morwa	ALLA0210254	50066405613
3	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India	मोरवा Morwa	UBIN0539171	391701010129658
4	एक्सिस बैंक Axis Bank	मोरवा Morwa	UTIB0001725	915020064361678

प्रत्येक सफल बोली के लिये फाईनेन्सियल कवरेज की राशी महाप्रबन्धक (विक्रय एवं विपणन) एन.सी.एल. सिंगरौली के कार्यालय में ऑक्सन तिथि के बाद से उपलब्ध रहेगी।

All the prospective buyers may please note that the value of Financial coverage for each successful bid will be available at office of General Manager(S&M), NCL, Singrauli after e-auction.

(6) उपभोक्ता द्वारा बुक की गयी कोयले की मात्रा को उपभोक्ता के चुनाव के अनुसार ०२ भागों में बाटा जायेगा ! सफल उपभोक्ताओं को कोयला मूल्य भुगतान प्रथम भाग, ऑक्सन दिनांक के १० दिनों के अंदर एवं अंतिम भाग, ३०.०४.२०१६ तक करना होगा !

(विगत कुछ ई-ऑक्सन के दौरान विफल हुये लेन-देन को ध्यान में रखते हुये एन.सी.एल. अपने ग्राहकों से निवेदन करता है कि ग्राहक अपने बैंक से लेन-देन के पश्चात लेन-देन की सफलता की जानकारी अवश्य लें. एन.सी.एल. किसी भी प्रकार से गलत या विफल लेन-देन का जिम्मेदार नहीं होगा.)

Time for depositing the Coal Value: The successful bidder after the Special Forward e-Auction – Phase-IV will have the option to deposit the coal value in two instalments. The first instalment shall be deposited **within 10 days of the auction date** and second instalment by **April 30, 2016**.

(In view of the frequent transaction failure during last few e-auctions, customers are requested to confirm remittance of coal value with their respective banks. NCL will not be responsible for any wrong/failed transaction.)

- (8) नोट: ई-ऑक्सन में भाग लेने से पहले बोलीकर्ता निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दें-

Note: Before taking part in NCL's e-Auction, Bidders are to note that,

- (अ) बोलीकर्ता स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्यूसर (अधिसूचना दिनांक ३१.१०.२०१५ एवं संशोधन दिनांक ०२.०२.२०१६, २३.०२.२०१६ एवं १०.०३.२०१६) के सभी नियम एवं शर्तों से बाध्य होगा!

Bidder has to abide by all terms and conditions of Special Forward e-Auction Scheme.

- (आ) बोलीकर्ता बोली लगाने से पूर्व स्वयं को ई-ऑक्सन में दिये जा रहे कोयले की गुणवत्ता से संतुष्ट कर ले!

Before participating in e-Auction, Bidder must satisfy themselves with the quality and grade of coal being offered from a source.

- (इ) FSA के तहत कोयला लेने वाले विद्युत उत्पादकों को मिलने वाली थर्ड पार्टी सैम्पलिंग की सुविधा स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन स्कीम सफल बोलीकर्ता को उसके लिखित अनुरोध पर दी जायेगी! ग्रेड में होने वाले किसी भी गिरावट/सुधार के सापेक्ष डेबिट/क्रेडिट नोट जारी किये जायेंगे !

Third party sampling facility currently in vogue for the FSA consumers with the Power Producers (IPP/SEB) shall be available to successful bidders under Special Forward e-Auction, if requested in writing to the supplying coal company. Debit /credit notes shall be issued in case of grade slippage/improvement.

- (ई) इस नोटिस के विषय वस्तु में किसी भी प्रकार के संशय होने की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा!

English version will be valid in case of any confusion in this notice.

- (7) स्पेशल फॉरवर्ड ई-ऑक्सन फॉर पॉवर प्रोड्यूसर (अधिसूचना दिनांक ३१.१०.२०१५ एवं संशोधन दिनांक ०२.०२.२०१६, २३.०२.२०१६ एवं १०.०३.२०१६ सी.आइ.एल./एन.सी.एल. एवं सेवाप्रदायकर्ता सर्व श्री एम-जंक्शन सर्विसेज लिमिटेड की वेबसाइट पर उपलब्ध है)

Apart from the above, bidders are governed by all other terms & conditions of NCL's Special Forward e-Auction Scheme-2015. The same is available in NCL's & Service Provider's website i.e. www.ncl.gov.in & www.coaljunction.in.

अन्य किसी जानकारी के लिये कृपया सेवा प्रदायकर्ता से सम्पर्क करें.

For any further clarification, please contact Auctioneering Agency:

सर्व श्री एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड

M/s mJunction Services Limited: फोन नं/Phone No. 033 22882606, फैक्स नं /Fax No. 033-22883536

ई-मेल /E Mail address: contactus@metaljunction.com

पता/Postal address:

सर्व श्री एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड, गोदरेज वाटर साइड, तीसरा तल, टॉवर 1, प्लॉट V, ब्लॉक DP, सेक्टर V, साल्ट लेक, कोलकाता - 700091, पश्चिम बंगाल.

M/s mjunction Services Limited, Godrej Water Side, 3rd Floor, Tower 1, Plot V, Block DP, Sector V, Salt Lake, Kolkata-700091, West Bengal.

ई-ऑक्सन का विवरण सर्व श्री एमजंक्शन सर्विसेज लिमिटेड व एन. सी. एल. की वेबसाइट www.coaljunction.in व www.ncl.gov.in पर उपलब्ध है.

Details of e-Auction are displayed on website of Auctioneering Agency, M/s mJunction Services Limited's Website www.coaljunction.in Details are also displayed on NCL website – www.ncl.gov.in

एन.सी.एल. प्रबन्धन बिना कोई कारण बताये किसी भी समय ई-ऑक्सन स्कीम या इसके किसी नियम या शर्त जिसमें प्रस्तावित ऑक्सन के कोयले की मात्रा भी है को समाप्त या बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

NCL management reserves the right to withdraw e-auction scheme or change/amend any of the terms and conditions including the quantity offered, without assigning any reason thereof.

महाप्रबन्धक (विक्रय एवं विपणन)

General Manager(S&M)

एन.सी.एल. सिंगरोली

NCL, Singrauli